न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया
राजस्व प्रार्थना पत्र 93/2018

1. गिरधरसिंह पुत्र श्री रूपसिंह
जाति राजपूत निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. छगन लाल पुत्र श्री छोगा जाति जाट।
2. श्रीमति राणावत पत्नि श्री किशनसिंह जाति राजपूत
दोनो निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
3. ईश्वर पुत्र श्री बालू जाति रेगर निवासी ग्राम दौलतपुरा प्रथम, तहसील विजयनगर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर ।

................अप्रार्थिगण

राजस्व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2274 रकबा 30–00–00 बिघा उसकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम लाम्बा पटवार मंडल लाम्बा की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 59 में खसरा नम्बर 2274 रकबा 30–00–00 बिधा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार मसूदा को ग्राम लाम्बा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2274 रकबा 30–00–00 बिधा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर कार्यालय मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.13 17:22:49 IST
Reason: SelfAttested